कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 141/FP/UK/ROAD/48583/2020 देहरादूनःदिनांकः 25 जुलाई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
रजिस्ट्रेशन न0 1540
फाइल नम्बर 12-1
प्राप्त दिनांक 17/8/2023

विषयः जनपद–चमोली के अन्तर्गत गौचर–रिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम मे अवगतनीय है कि भारत सरकार के पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/172/2020/एफ0सी0/286 दिनांकः–31.05.2023 के द्वारा विषयाकित प्रकरण में 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 303/12–1 दिनांक 14.07.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र.सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	A plantation scheme for Rs. 1,75,431/- has been submitted along with the compliance report. However, the amount deposited in CAMPA fund is Rs. 1,75,336/-. Hence, it is requested to deposited the balance amount for CA in the CAMPA fund.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन मे प्रतिपूरक वनीकरण का रोपण प्लान का आगणन 1,75,431.00 आया है। परन्तु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), देहरादून की पत्र संख्या–596/3–5–2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वर्ष 2021–22 के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण अनुमन्य धनराशि रू0 3,37,184.00 प्रति है0 के अनुसार 0.52 है0 के लिये देय धनराशि 1,75,375.00 होने के कारण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1,75375.00 जमा की गयी है, जो कि सही है। प्रतिपूरक वनीकरण के आगणन की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)
2	It is seen that the compliance report has just been forwarded by the State Government mentioning that conditions are accepted. The State Government is requested to submit point wise compliance report providing comments on each conditions.	बिन्दु संख्या–2 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित है। (संलग्नक–2)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयाकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नकः 1. प्रतिपूरक वनीकरण आंगणन की प्रति।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या।

भवदीय,
25/07/23
(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मानचित्रकार
प्रवक्ता 18/8/23

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Email- dfokedarnath@gmail.com
Phone @ Fax No&01372252149

पत्रांकः–मान0 / गोपेश्वर, दिनांक 14/07/2023

सेवा में, ,

अपर प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरापगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(FP/UK/ROAD/48583/2020)**

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड़, देहरादून का पत्र सं0– 08बी/यू0सी0पी0/06/172/2020/एफ0सी0/286 दिनांक 31.05.2023 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक संख्या 2820/FP/UK/ROAD/45583/2020 दिनांक 06.06.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का निराकरण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नानुसार 03 प्रतियों में आपको प्रेषित की जा रही हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	A plantation scheme for Rs. 1,75,431/- has been submitted along with the compliance report. However, the amount deposited in CAMPA fund is Rs.1,75,336/- . Hence, it is requested to deposited the balance amount for CA in the CAMPA fund. RKC वन भूमि सहायक/सहायक अभि–III	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण का रोपण प्लान का आगणन 1,75,431.00 आया है। परन्तु प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय (HoFF) देहरादून के पत्र संख्या 596/3–5–2 दिनांक 19–08–2015 के अनुसार वर्ष 2021–22 के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण अनुमन्य धनराशि 3,37,184.00 प्रति है0 के अनुसार 0.52 है0 के लिये देय धनराशि 1,75,375.00 होने के कारण प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा 1,75375.00 जमा की गयी है, जो कि सही है। प्रतिपूरक वनीकरण के आगणन की प्रति संलग्न है। **संलग्न 1**
2	It is seen that the compliance report has just been forwarded by the State Government mentioning that conditions are accepted. The State Government is requested to	बिन्दु संख्या 2 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार आख्या प्रेषित है। **संलग्न 2**

	submit point wise compliance report providing comments on each conditions.	

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 303 / 12-1 **दिनाँकित।**

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, नन्दादेवी बोयोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

ऑनलाइन अपलोड / विशेषवाहक द्वारा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक– 457 /1सी० (वन) दिनांक 27 / 03 / 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग .
गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

(FP/UK/ROAD/48583/2020)

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड़, देहरादून का पत्र सं0– 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 172 / 2020 / एफ0सी0 / 2085 दिनांक 31.12.2020 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक संख्या 1903 / FP/UK/ROAD/45583/2020 दिनांक 14.1.2021**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 23 शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	उत्तर
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। **संलग्न 1– प्रमाण पत्र संलग्न है।**
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दु संख्या 02 का अनुपालन किया जाएगा।
3 (क)	प्रतिपूरक वनीकरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 520 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.52 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।	520 पौधों के रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवष्यक धनराषि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये) रू 175336 .00 की धनराशि ऑनलाइन चॉलन के माध्यम से दिनांक 09.04.2021 द्वारा जमा की जा चुकी है एवं पौधों का रापेण कार्य वन विभाग द्वारा किया जायेगा **संलग्न 2– चालन की मूल प्रति।**
(ख)	राज्य सरकार पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	520 पौधों के रापेण का कार्य रानीगढ़ 1 कं0सं0 9 में किया जायेगा। **संलग्न 3– डिजिटल एवं टोपोशीट मानिचत्र**

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	वन भूमि प्रस्ताव 1.00 है0 से कम होने के कारण प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता नहीं है।
5 (क)	शुद्ध वर्तमान मूल्य इस संबंध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008,24.04. 2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.26 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रस्ताव के तहत 0.26 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रू0 1,70,820. 00 ऑनलाइन चॉलन के माध्यम से दिनांक 17.3. 2021 द्वारा जमा की जा चुकी है। **संलग्न 2 में चालन की मूल प्रति लगा दी गई है।**
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	एन0पी0वी0 की दरों में बढोतरी से सम्बन्धित बचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। **संलग्न 4– एन0पी0वी0 की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र।**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 33 Tree से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेड़ो की कटाई न्यूनतम की जायेगी एवं प्रस्ताव के अनुसार 33 वृक्ष का पातन राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा एवं पेड़ां की कटाई की लागत वन विभाग को जमा की जाएगी। **संलग्न 5– प्रमाण पत्र।**
7	राज्य सरकार प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	प्रस्ताव की मूल प्रति पूर्व में ही अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या– 1397/ FP/ UK/ROAD/ 48583/2020 दिनांक 11.11.2020 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। **संलग्न 6– पत्र की छायाप्रति।**

8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/)के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	परियोजना के तहत प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में जमा किया गया है। **संलग्न 7– ई–पोर्टल पर जमा की गयी राशि की छायाप्रति एवं प्रमाण पत्र।**
9	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जाएगी। **संलग्न 8– प्रमाण पत्र।**
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा। एफ0आर0ए0 की मूल प्रति पूर्व में बिन्दु संख्या 7 के अनुसार मूल प्रति में संलग्न कर पूर्व ही प्रेषित है। **संलग्न 9– एफ0आर0ए की छायाप्रति।**
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	उक्त परियोजना के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है। **संलग्न 10– प्रमाण पत्र।**
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। **संलग्न 11– प्रमाण पत्र।**
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। **संलग्न 12– प्रमाण पत्र।**
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेष वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। **संलग्न– 13 प्रमाण पत्र।**
15	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्जयीव प्रभाग गोपेश्वर के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। **संलग्न 14– प्रमाण पत्र।**
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। **संलग्न 15– प्रमाण पत्र।**

17	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा। **संलग्न 16– प्रमाण पत्र।**
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। **संलग्न 17– प्रमाण पत्र।**
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 एफ0सी0 दिनांक 29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। **संलग्न 18– प्रमाण पत्र।**
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगीं।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरखण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित जो भी शर्ते लागू होंगी, वह प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्य होंगी। **संलग्न 19– प्रमाण पत्र।**
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागतपर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जाएगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। प्रयाक्त अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। **संलग्न 20– प्रमाण पत्र।**
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव में लागू होने वाले समस्त अधिनियम/अनुच्छेद/नियम न्यायालय आदेश/अनुदेश के अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। **संलग्न 21– प्रमाण पत्र।**

23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी। **संलग्न 22– प्रमाण पत्र।**

अतः अनुरोध है कि प्रकरण को विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न– अनुपालन आख्या 4 प्रतियों में।

भवदीय

(इं0 दिनेश कुमार बिजल्वान)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक /1 सी0 वन तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लो0नि0वि0 पौड़ी।
4– जिलाधिकारी चमोली ।
5– अधीक्षण अभियन्ता 07वॉं वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
6– सहायक अभियन्ता तृतीय, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

संलग्न–1

शर्त संख्या 1

परियोजना का नाम– **जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न-2
मूल प्रति

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 09-04-2021

Agency Name.	TEMPORARY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT GAUCHAR
Application No.	6148583777
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/172/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive Engineer Temporary Division PWD GaucharChamoli
Amount(in Rs)	346156/-

Amount in Words :Three Lakh Forty-Six Thousand One Hundred and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896148583777 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through
even after 7 working days, then kindly mail a copy
Email: cb0371@unionbankofindia.com

थोरेफेरेन्स मैप :–जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वृक्षारोपण स्थल

संलग्न 3

0 0.03 0.06 0.12 Km

Scale-1:3,000

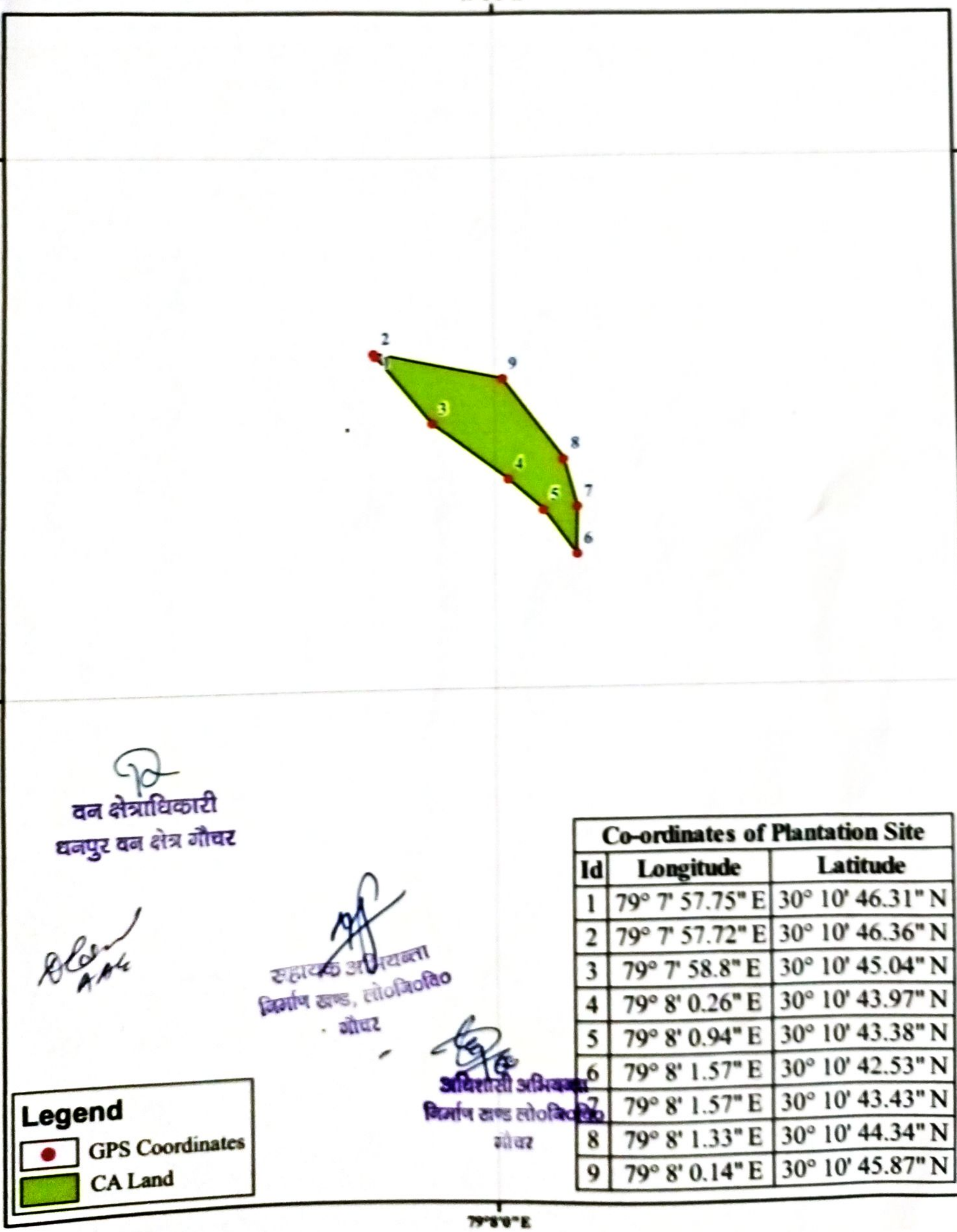

Co-ordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 7' 57.75" E	30° 10' 46.31" N
2	79° 7' 57.72" E	30° 10' 46.36" N
3	79° 7' 58.8" E	30° 10' 45.04" N
4	79° 8' 0.26" E	30° 10' 43.97" N
5	79° 8' 0.94" E	30° 10' 43.38" N
6	79° 8' 1.57" E	30° 10' 42.53" N
7	79° 8' 1.57" E	30° 10' 43.43" N
8	79° 8' 1.33" E	30° 10' 44.34" N
9	79° 8' 0.14" E	30° 10' 45.87" N

वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र गौचर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

जटल मैप :–जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वृक्षारोपण स्थल

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

संलग्न 3

रानीगढ़ T क०स० 9

SOI Toposheet No: 53N/04

N

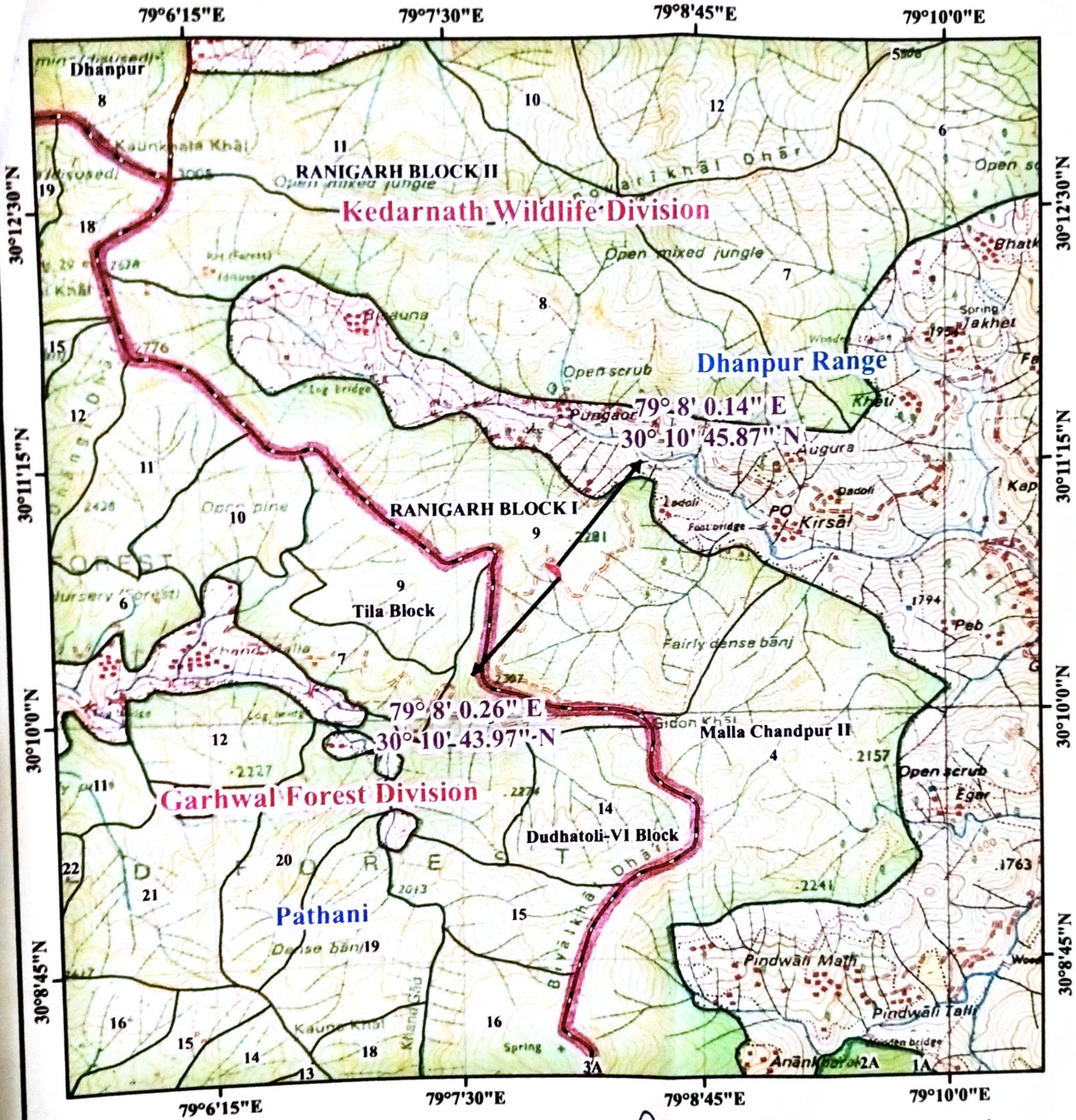

Legend

- Range Boundary
- Reserve Forest Area
- Division Boundary
- Proposed Land

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर

वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

जनपद चमोली मे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत गौचर सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक 0.850 किमी मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु 0.210 है0 वन पंचायत भूमि सिविल वन भूमि 0.035 हे0एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.015 हे0 कुल 0.260 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 बि0 को हस्तान्तरण के ऐबज मे दो गुना क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

परियोजना का नाम–: जनपद चमोली मे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत गौचर सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक 0.850 किमी मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु 0.210 है0 वन पंचायत भूमि सिविल वन भूमि 0.035 हे0एव मक डिस्पोजल हेतु 0.015 हे0 कुल 0.260हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0 नि0 बि0 को प्रत्यार्वतन ।

मूल प्रति

संलग्न 3

वृक्षारोपण स्थल का नाम–: रानीगढ I कं0 सं0 9

वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल–: 0.52 है0

रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या –: 520

रोपित किये जाने वाले प्रजाति का नाम –: प्राकृतिकवास के अनुसार बॉज, मेहल,पांगर अखरोट आदि

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर–धनपुर वन क्षेत्र गौचर

क्र0	कार्य का नाम	इकाई	दर	धनराशि
	प्रथम वर्ष			
1	सर्वेक्षण व सीमाकंन कार्य	0.52 है0	186.00	96.72
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की झाडी काटना व सफाई करना	0.52 है0	6133.00	3189.16
3	दीवालवन्दी कार्य पर व्यय	0.52 है0	52812.00	27462.24
4	अभियंन्त्रण व जल संरक्षण कार्य पर व्यय	0.52 है0	80000.00	41600.00
5	गढडे खुदान कार्य पर व्यय (0.30×0.30×0.45)	520 सं0	11.47	5964.40
6	निरीक्षण वटिया निर्माण कार्य पर व्यय	100 ब0मी0	15.00	1500.00
7	अन्य व्यय जैसे संयत्र क्रय करना औजार तेज करना	0.52 है0	1265.00	657.80
8	पौधो की कीमत (प्रथम वर्ष)	520 सं0	11.00	5720.00
			योग प्रथम चरण	86190.32
	द्वितीय चरण32			
1	गढडे भरान कार्य (0.30×0.30×0.45)	520 सं0	2.18	1133.60
2	पौधों की कीमत (द्वितीय चरण)	520 सं0	3.00	1560.00
3	पौध ढुलान का कार्य पर व्यय	520 सं0	16.00	8320.00
4	पौध रोपण तथा थावलावन्दी कार्य पर व्यय	520 सं0	4.26	2215.20
5	खाद, उर्वरक व अन्य व्यय	0.52 है0	850.00	338.00
6	दो वार निराई गुडाई व मल्चिंग पर व्यय	520 सं0	5.43	2823.60
7	देख–रेख व रखरखाव पर व्यय (7) माह	0.52 है0	915.20 /– माह	3331.32
8	वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थो को हटाना	0.52 है0	400.00	208.00
9	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मीटर की पट्टी को साफ करना	0.52 है0	400.00	208.00
10	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना 1– प्रशिक्षण	2 सं0	5000.00	10000.00
	2– प्रोहत्साहन	1सं0	1500.00	1500.00
11	साइन बोर्ड कन्डी, सुतली, बोरी, एंव पौलथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी, प्रचार प्रसार व डोक्योमेंटेशन आदि कार्य	0.52 है0	ल0सं0	5000.00
			योग द्वितीय चरण	36637.72
	तृतीय वर्ष			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12)माह	0.52 है0	915.20 /– माह	5710.84
2	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखी धास फूस एंव ज्वलनशील पदार्थो को हटाना	0.52 है0	400.00	208.00
3	वृक्षारोपण के सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.52 है0	400.00	208.00
4	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। 1– प्रशिक्षण–	1सं0	5000.00	5000.00
	2– प्रोत्साहन–	1सं0	1500.00	1500.00
			योग तृतीय चरण	12626.84
	चतुर्थ चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12)माह	0.52 है0	915.20 /– माह	5710.84
			योग चतुर्थ चरण	5710.84
	पंचम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12)माह	0.52 है0	915.20 /– माह	5710.84
			योग पंचम चरण	5710.84
	षष्ठम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12)माह	0.52 है0	915.20 /– माह	5710.84
			योग षष्ठम चरण	5710.84
	सप्तम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12)माह	0.52 है0	915.20 /– माह	5710.84
			योग सप्तम चरण	5710.84
	अष्ठम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12)माह	0.52 है0	915.20 /– माह	5710.84
			योग अष्ठम चरण	5710.84
	नवम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12)माह	0.52 है0	915.20 /– माह	5710.84
			योग नवम चरण	5710.84
	दशम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12)माह	0.52 है0	915.20 /– माह	5710.84
			योग दशम चरण	5710.84

महा योग– 175430.78

या रू0 – 175431.00

वन क्षेत्राधिकारी

धनपुर वन क्षेत्र गौचर

संलग्न–4

शर्त संख्या 5 (ख)

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न–5

शर्त संख्या 6

परियोजना का नाम– **जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जायेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 33 से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में काटे जाएगें। वृक्षों के पातन हेतु कटीई की लागत राज्य वन विभाग को जमा की जायेगी एवं वृक्षों का पातन 7 मी0 चौड़ाई में ही किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न 6

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 1397/ FP/UK/ROAD/48583/2020 देहरादूनः दिनांकः 11 नवम्बर, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–चमोली में प्रस्तावित गौचर सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।
(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/48583/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर, (चमोली) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/ प्रभागीय वनाधिकारी, कैदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। उक्त प्रश्नगत प्रकरण में 33 वृक्षों का पातन निहित है जो कि प्रति है 50 से अधिक है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–I से भाग–III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
10/11/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/48583/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
9. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
10. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
11. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
12. जिलाधिकारी, जनपद–चमोली।
13. प्रभागीय वनाधिकारी, कैदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
14. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर, (चमोली)।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न–7

शर्त संख्या 8

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के तहत प्राप्त धन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in)के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में जमा किया गया है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न 7

Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/UK/ROAD/62388/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/62388/2020) Construction of Gwad -didoli-riktoli-partoli-kimoli Motor road	ROAD623882020958	6162388958	29 Oct 2021	**CA:** 1631969/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1445400/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 3077369/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 08 Mar 2022 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 08 Mar 2022 **Transaction Date** : 09 Mar 2022	**Demand Letter** Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/080320221611496166_FPUKROAD623882020_User_Fund_Demanded_23712.px Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD623882020958)
2 FP/UK/ROAD/42439/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/42439/2019) Karnaprayag Nauti Paithani M/R to Dewalgarhsari M/R	ROAD424392019666	6142439666	26 Mar 2021	**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 243090/- , **Road side /gap filling plantation :** 146400/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 389490/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 30 Sep 2021 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :30 Oct 2021 **Transaction Date** :30 Oct 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/250920211155393164_FPUKROAD424392019_User_Fund_Demanded_40229.px Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD424392019666)
3 FP/UK/ROAD/48583/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/48583/2020) Gauchar Sidoli to Panai M/R	ROAD485832020777	6148583777	31 Dec 2020	**CA:** 175336/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 170820/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 346156/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 26 Mar 2021 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :09 Apr 2021 **Transaction Date** :09 Apr 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3112612181220XC9Y4panai(1).pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD485832020777)
FP/UK/ROAD/31469/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/31469/2018) In district Chamoli , Karanprayag construction of new motor road "Karanprayag-Nauti-Paithani to Gairoli"	ROAD314692018239	6131469239	30 Sep 2020	**CA:** 579956/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 565020/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1144976/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 10 Mar 2021 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 12 Mar 2021 **Transaction Date** : 17 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311112391217E0Q7Bgairolimotorroad.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD314692018239)

अधिशासी अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

संलग्न–8

शर्त संख्या 9

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर

संलग्न 9

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः– मा0मु0घो0 ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती हेतु मोटर मार्ग नवनिर्माण हेतु 0.210 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.035 एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.15 हे0 कुल 0.260 हे0 वन पंचायत/सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम– पनाई मल्ली
तहसील– कर्णप्रयाग
जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में मा0मु0घो0 ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक निर्माण हेतु **0.210 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.035 है0 सिविल वन भूमि** एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.015 हे0 कुल 0.260 हे0 वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पनाई मल्ली द्वारा दिनांक........15-5-19........को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पनाई मल्ली के ग्रामवासियों को उक्त भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– Mamta Arya
ममता आर्य
सभासद वार्ड नं0-1
नगर पालिका परिषद गौचर

ह0/–
वन पंचायत
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

प्रपत्र–23.1

दिनांक 15-5-19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम – पनाई मल्ली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	श्री [illegible] आर्य	[illegible]
(2)	" विनोद कुमार	[illegible]
(3)	" जयलाल	[illegible]
(4)	गोपाल लाल	[illegible]
(5)	" रोशन लाल	[illegible]
(6)	" विष्णु लाल	विष्णुलाल
(7)	" दिनेश लाल	दिनेशलाल
(8)	" [illegible]	[illegible]
(9)	" प्रेम आर्य	प्रेमलाल
(10)	" सुरेश कुमार	[illegible]
(11)	" देवेश कुमार	Devsharm.
(12)	" संजीव कुमार	[illegible]
(13)	" राज कुमार	[illegible]
(14)	" रमेश लाल	रमेशलाल
(15)	" मुकेश	[illegible]
(16)	"	
(17)	रोशनलाल	[illegible]
(18)	विजय कोहली	Vijay kohli
(19)	सन्तोष लाल	सन्तोष
(20)		

ह0/–

[signature]

ममता आर्य

सभासद वार्ड नं0 1

नगर पालिका [illegible]

[signature]

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड [illegible]

गोचर

प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0मु0घो0 ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.210 है0 वन पंचायत भूमि, 0.035 है0 सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.015 है0 कुल 0.260 है0 वन पंचायत/सिविल वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग, दिनांक 23/01/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री वैभव गुप्ता उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग .... अध्यक्ष

2– श्री ————उप प्रभागीय वनाधिकारी———— सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड ..... जिला – चमोली

3– श्री चन्द्रदय सिंगतवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी—— सदस्य / सचिव

4– श्री ————बी0डी0सी0 क्षेत्र ———— दिनांक.........सदस्य.........

वन क्षेत्राधिकारी
पनपुर वन क्षेत्र गौचर

अधिशासी
नगर पालिका परिषद
गौचर (चमोली)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0मु0घो0 ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.260 हे0 वन पंचायत/ सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 गौचर, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा पनाई मल्ली के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0मु0घो0 ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.260 हे0 वन पंचायत/ सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 गौचर को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–कर्णप्रयाग
जनपद –चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Smt. Swati S. Bhadoriya, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 5/9/2020 at time 15:00 hrs at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 0.610 hect for the construction of motor road **"Gauchar-Sidoli Motor road to Panai Anusuchit Jati Basti Motor road"** and forest land 0.260 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanparyag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 5/9/2020

जिला अधिकारी
चमोली
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No--- Dated----05/08/2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.260** hectares of Civil/ Vanpanchayat land proposed to be diverted in favor of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of motor road **"Gauchar-Sidoli Motor road to Panai Anusuchit Jati Basti Motor road"** in Chamoli district falls within jurisdiction " panai malli , in **Karanparyag** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.260 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Panai Malli ' sub- Division level Committee Karanparyag and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला अधिकारी
चमोली
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

संलग्न–10

शर्त संख्या 11

परियोजना का नाम– **जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न–11

शर्त संख्या 12

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न–12

शर्त संख्या 13

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न–13

शर्त संख्या 14

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न–14

शर्त संख्या 15

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना की लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न–15

शर्त संख्या 16

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न–16

शर्त संख्या 17

परियोजना का नाम– **जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता	**अधिशासी अभियन्ता**
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0	**निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0**
गौचर	**गौचर**

संलग्न–17

शर्त संख्या 18

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रं सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न–18

शर्त संख्या 19

परियोजना का नाम– **जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्रांक संख्या– 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 172 / 2020 / एफ0सी0 / 2085 दिनांक 31.12.2020 में अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न–19

शर्त संख्या 20

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित जो भी शर्ते लागू होंगी, समस्त शर्ते मान्य होंगी।

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर

संलग्न–20

शर्त संख्या 21

परियोजना का नाम– **जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/48583/2020)**

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जाएगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी तथा मलवे का निस्तारण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर ही किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न–21

शर्त संख्या 22

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/48583/2020** में लागू होने वाले समस्त अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश के अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न–22

शर्त संख्या 23

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/48583/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गई है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर